

To Kind Attn. Mr. Vasu.

0141-2564392

153

राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर।

क्रमांक :-प1(1) कार्मिक/नि.वि./31/06/1311


दिनांक:- 14/7/08

कार्यालय-आदेश

राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड चिकित्सा विनिर्माण 1970 के अन्तर्गत हाऊसिंग बोर्ड कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करते हुये निम्नलिखित चिकित्सालयों को मण्डल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के साथ चिकित्सा उपभोग हेतु मान्यता दी जाती है। निम्न चिकित्सालयों द्वारा आई.पी.डी. बिल्ड पर 10 प्रतिशत की छूट देय है।


1. सोनी हास्पिटल, 38 कानोता बाग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-04
2. एस.के.सोनी हास्पिटल, सेक्टर 5, विद्याधर नगर, जयपुर-13

उक्त आदेश को अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है तथा मंडल के निर्णय की पूर्व अपेक्षा में जारी किया जाता है।


सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख निजी सचिव-अध्यक्ष/आवा.आयुक्त/मुख्य अभियंता राज0आ0मण्डल,जयपुर।
2. व0नि0स0-सचिव/नि0स0 एवं मुख्यलेखाधिकारी, राज0आ0मण्डल,जयपुर।
3. अति0 मुख्य अभियंता राज0आ0मण्डल,जयपुर/जोधपुर।
4. उप आवासन आयुक्त वृत्त..... रा0आ0म0.....।
5. आवासीय अभियंता खण्ड..... रा0आ0म0.....।
6. सोनी हास्पिटल, 38 कानोता बाग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-04
7. एस.के.सोनी हास्पिटल, सेक्टर 5, विद्याधर नगर, जयपुर-13
8. समस्त प्रकोष्ठ मुख्यालय..... राज0आ0मण्डल,जयपुर।
9. नोटिस बोर्ड /रक्षित पत्रागली


सचिव